उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–1393/दस––958–80

लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई, 1985

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड पशन इंश्योरेन्स रूल्स, 1948, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम–11 के अन्तर्गत निर्धारित पेंशनों की धनराशि में से शासन के अंशदान/मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के पेंशन समतुल्य के बराबर की गई कमी का पुनर्स्थापन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इंश्योरेन्स रूल्स, 1948, के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों के 30/60 की दर से आगणित होने वाली पेंशन की धनराशि में से सम्बन्धित कर्मचारी के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड खाते पर दिये गये शासन के अंशदान के एवज में उनके पेंशन समतुल्य के बराबर धनराशि कम कर दी जाती थी । पेंशनरों द्वारा यह मांग की गई है कि अब इस कटौती को बन्द कर दिया जाये ।

इसी प्रकार पेंशनर्स द्वारा यह मांग भी की गई है कि उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961/उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम–11 के अन्तर्गत स्वीकृत पशन की धनराशि में से सेवानिवृत्तिक सेवक को दी गई डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के पेंशन–समतुल्य के बराबर की गई कमी को भी समान आधार पर पुनर्स्थापित कर दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा उक्त नियमों की व्यवस्थाओं के साथ मामले का सम्यक् परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि उक्त नियमों के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर देय नैवृत्तिक लाभों की दो अलग-अलग व्यवस्थायें उपलब्ध थीं तथा उक्त दो प्रकार के लाभों में से अपने लिये उपयुक्त लाभ चुनने का विकल्प उपलब्ध था । अतएव कर्मचारी द्वारा स्वयं चुने गये विकल्प के आधार पर अब शासन कानूनी दृष्टि से पेंशनरों की यह मांग स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है, फिर भी पेंशनर्स के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तथा उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान किये हैं कि दिनांक 1 अगस्त, 1985 (अर्थात् जुलाई, 1985 की पेंशन जो 1 अगस्त, 1985 को देय हो) से उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इंश्योरेन्स रूल्स उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961/उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम–11 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशनों की धनराशि में से शासन के अंशदान/डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के एवज में उनके पेंशन–समतुल्य (pension equivalent) धनराशि के बराबर की जा रही कटौती बन्द कर दी जाये किन्तु डथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के पेंशन समतुल्य धनराशि के बराबर कटौती की इस प्रकार पुनर्स्थापित धनराशि को पेंशन पर देय मंहगाई राहत की गणना के लिये पेंशन का भाग नहीं माना जायेगा ।

जे० पी० सिंह,
वित्त सचिव ।

संख्या सा–3–1393(1)/दस––958–80 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:––

1––महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2––समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3––समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4––सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
5––विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय ।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0यू0पी0––ए0पी0 12 सा0 भाषा––24–7–85––(1370)––1985––10,000––(हि0) ।